न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 40/2020

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

वादीगण

1. प्रभुराम पुत्र श्री लाबूराम
   जाति सीरवी (आगलेचा)
   निवासी बेरा आगलेचों का भटेड
   ग्राम जेलवा, तहसील बिलाड़ा
2. हरजीराम पुत्र श्री दौलाराम
   जाति सीरवी (बर्फा)
3. लादूराम पुत्र श्री दौलाराम
   जाति सीरवी (बर्फा), निवासीगण
   कल्पवृक्ष के पास, बेरा बडेर का
   उगुणिया बिलाड़ा, तहसील
   बिलाड़ा जिला जोधपुर
4. जगदीश पुत्र पन्नाराम
   जाति सीरवी (बर्फा)
   निवासी बेरा बाग की ढीमड़ी
   बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा
5. तेजाराम पुत्र लिखमाराम
   जाति सीरवी (पंवार)
   निवासी बेरा भाटिया ग्राम
   पिचियाक तहसील बिलाड़ा
6. मुन्नीदेवी पत्नी पन्नाराम
   जाति सीरवी (पंवार)
   निवासी बेरा भाटिया ग्राम
   पिचियाक तहसील बिलाड़ा
7. तीजीदेवी पत्नी जयराम
   जाति सीरवी (पंवार)
   निवासी बेरा भाटिया ग्राम
   पिचियाक, तहसोल बिलाड़ा
8. चम्पादेवी पत्नी आशाराम
9. पपलीदेवी पत्नी डूंगरराम
10. हपादेवी पत्नी उदाराम
    जातियान कीर निवासीगण ग्राम
    जसवन्तपुरा, तहसील बिलाड़ा
    जिला जोधपुर

प्रतिवादीगण

1. मोहनलाल पुत्र श्री ओगड़राम
   जाति सीरवी (आगलेचा)
   निवासी आगलेचों का गौरवा
   उचियार्डा, बिलाड़ा तहसील
2. कानसिंह पुत्र सवाईसिंह
3. मेघसिंह पुत्र सवाईसिंह
4. नरपतसिंह पुत्र सवाईसिंह
5. मंगलसिंह पुत्र सवाईसिंह
6. भंवरसिंह पुत्र सवाईसिंह
7. अमरसिंह पुत्र सवाईसिंह
   सभी जातियान राजपूत
   निवासीगण ग्राम पिचियाक
   तहसील बिलाड़ा,
   जिला जोधपुर
8. राजस्थान सरकार जरिये
   तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :–वादीगण की ओर से श्री मदनलाल चौधरी, एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
प्रतिवाद[illegible] 8 [illegible]कार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:50 IST
Reason: SelfAttested

निर्ण[illegible] दिनांक :–

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जसवन्तपुरा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि ख[illegible]रा नम्बर 125/1 र[illegible]5.3629 हैक्टेयर,

खसरा नम्बर 125/2 रकबा 5.5093 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 125/3 रकबा 2.3137 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 125/4 रकबा 8.1790 हैक्टेयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 31. 3649 हैक्टेयर आई हुई है। जिसके खाता सं. 38 है। उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की सयुक्त खातेदारीसुदा अविभाजितसुदा व सयुक्त कब्जा काश्तसुदा कृषि भूमि है। खसरा नम्बर 125/1 रकबा 15.3629 हैक्टेयर में वादी संख्या 1 का स्थित हिस्सा 900/3877 वॉ हिस्सा में से 188/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 2 का स्थित हिस्सा 899/3877 वॉ हिस्सा में से 188/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 3 का स्थित हिस्सा 385/3877 वॉ हिस्सा में से 80/3877 वॉ हिस्सा व वादी संख्या 4 का स्थित हिस्सा 386/3877 वॉ हिस्सा में से 81/3877 वॉ हिस्सा भूमि वादी संख्या 1 से 4 तक द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 06.02.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 को बैचान कर दी। जिसका म्यूटेशन प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा खसरा नम्बर 125/1 में से बैचान के बाद शेष वादी संख्या 1 के हिस्से में 712/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 2 के हिस्से में 711/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 3 के हिस्से में 308/3877 वॉ हिस्सा व वादी संख्या 4 के हिस्से में 305/3877 वॉ हिस्सा शेष रहती है। जिसके वादी संख्या 1 से 4 उक्त हिस्से अनुसार सहखातेदार है। उक्त खसरे में वादीगण संख्या 5 से 10 तक प्रत्येक यानि वादी संख्या 5 का 180/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 6 का 401/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 7 का 201/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 8 का 91/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 9 का 91/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 10 का 182/3877 वॉ हिस्सा है। जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी संख्या 5 से 10 के नाम से खातेदारी के रूप में दर्ज है। इसके अलावा खसरा नम्बर 125/2, 125/3, 125/4 की सम्पूर्ण भूमि में वादी संख्या 1 का 900/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 2 का 899/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 3 का 385/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 4 का 386/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 5 का 180/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 6 का 401/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 7 का 201/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 8 का 91/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 9 का 91/3877 वॉ हिस्सा व वादी संख्या 10 का 182/3877 वॉ हिस्सा है तथा उक्त हिस्से के अनुसार उपरोक्त तीनो खसरान की भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण के नाम से खातेदारी के रूप में दर्ज है। इसके अलावा शेष हक व हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 2 से 7 का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वर्णितानुसार हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 2 अविवाहित है तथा प्रतिवादी संख्या 2 के भाई छैलसिंह अविवाहित फौत हुए जिसके प्रथम श्रेणी के वारिसान प्रतिवादो संख्या 2 से 7 तक है तथा छैलसिंह का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज नही होने के कारण राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में आज भी छैलसिंह का नाम बतौर खातेदार के रूप में दर्ज है जबकि छैलसिंह फौत हो चुके है तथा उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 से 7 तक को प्रस्तुत वाद में पक्षकार बनाया गया है। उपरोक्त वर्णित खसरान की भूमि को वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' से सम्बोधित किया गया है। इसी प्रकार ग्राम जसवन्तपुरा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 125/5 रकबा 2.9448 हैक्टेयर आई हुई है। जिसके खाता संख्या 244 है। उपरोक्त भूमि वादीगण की सयुक्त खातेदारीसुदा,अविभाजितसुदा व सयुक्त कब्जा काश्तसुदा कृषि भूमि है। जिसमें वादी संख्या 1 का 7/20 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 2 का 7/20 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 3 का 3/20 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 4 का 3/20 वॉ हिस्सा है तथा उक्त [illegible] की सम्पूर्ण भूमि वादीगण के नाम से सहखातेदारी के रूप में राजस्व [illegible] दर्ज है। उपरोक्त वर्णित खसरा की भूमि को वाद पत्र के आगे [illegible] 'बी' से सम्बोधित किया गया। वादग्रस्त कृषि भूमि [illegible] वादी संख्या 1 से 7 का वाद पत्र के पद संख्या 2 व 3 में वर्णित हक व हिस्से [illegible] मौके पर काबिज है व काश्त कर रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:50 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त कृषि भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के मध्य आपसी सहमति से मौखिक बंटवाड़ा हो चुका है। उक्त मौखिक बंटवाड़ा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के मध्य वाद पत्र के पद संख्या 2 व 3 में वर्णित हक व हिस्से के अनुसार हुआ है वादग्रस्त भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के मध्य आज दिन तक लिखित व विधिवत् बंटवाड़ा नही हुआ है व न ही राजस्व नक्शे में मुताबिक वाद पत्र के पद संख्या 2 व 3 में वर्णित हिस्से के अनुसार तरमीम हुई है तथा वादग्रस्त भूमि वाद पत्र के पद संख्या 2 व 3 में वर्णित हक व हिस्से के अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में सयुक्त रूप से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम से सयुक्त खातेदारी के रूप में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि ए व बी के सम्बंध में वाद पत्र के पद संख्या 2 व 3 में वर्णित वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के हक हिस्से के सम्बंध में वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को विधिवत् बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे में मुताबिक विधिवत् बंटवाड़ा अनुसार तरमीम करवाने हेतु कई बार निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने आज दिन तक न तो वादीगण के निवेदन को स्वीकार किया व न ही वादीगण के निवेदन से सहमत हुए व न ही आज दिन तक वादग्रस्त भूमि ए व बी का विधिवत् बंटवाड़ा किया इसलिए वादीगण को अपने हक व हिस्से की वाद पत्र के पद संख्या 2 व 3 में वणित वादग्रस्त भूमि ए व बी के बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे में तरमीम करवाने के लिए यह वाद बाबत् बंटवाड़ा का प्रस्तुत किया गया। दिनांक 06.06.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 से 7 द्वारा वादीगण को इस आशय की धमकी दी कि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 वाद पत्र के पद संख्या 2 व 3 में वणित उनके हक व हिस्से की भूमि को बिना विधिवत् बंटवाड़ा किये अन्य सख्श को बैचान हस्तान्तरण कर देंगे तथा वादीगण को वादग्रस्त भूमि में स्थित वादीगण के वाद पत्र के पद संख्या 2 व 3 में वर्णित हक व हिस्से की वादग्रस्त कृषि भूमि से वंचित कर देंगे तथा मौके से बेदखल कर देंगे, प्रतिवादी संख्या 1 से 7 द्वारा किये जाने वाले उक्त गैर कानूनी कृत्य को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसलिए वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया।

अन्त में वादीगण द्वारा वाद पत्र के पद संख्या 11 (अ),(ब),(स),(द),(य)(द) में वर्णितानुसार अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री किये जाने की इस्तदुआ चाही है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को आवाजे दिलायी गयी लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 7 उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध तारीख पेशी दिनांक 26.09.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए तथा प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा वादी का वाद स्वीकार किये जाने पर किसी प्रकार की कोई आपति नही होना जाहिर किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने से तनकीयात कायम नही की गयी व न ही साक्ष्य ली गयी।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र पर मनन किया गया। वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी प्रमाण जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे यह विदित होता है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि क रेकर्ड [illegible] खातेदार है तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के मध्य [illegible] नही हो रखा है व न ही वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वर्णितानुसार हिस्से की तरमीम राजस्व नक्शे में हो रखी है इसलिए सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:50 IST
Reason: SelfAttested

किया जाना उचित प्रतीत होने के कारण वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायसंगत है। अतः वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम जसवन्तपुरा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 125/1 रकबा 15.3629 हैक्टेयर में स्थित वादी संख्या 1 का 712/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 2 का 711/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 3 का 305/3877 वॉ हिस्सा व वादी संख्या 4 का 305/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 5 का 180/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 6 का 401/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 7 का 201/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 8 का 91/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 9 का 91/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 10 का 182/3877 वॉ हिस्सा तथा खसरा नम्बर 125/2 रकबा 5.5093 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 125/3 रकबा 2.3137 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 125/4 रकबा 8.1790 हैक्टेयर में स्थित वादी संख्या 1 का 900/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 2 का 899/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 3 का 385/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 4 का 386/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 5 का 180/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 6 का 401/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 7 का 201/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 8 का 91/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 9 का 91/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 10 का 182/3877 वॉ हिस्सा की भूमि का तथा खसरा नम्बर 125/5 रकबा 2.9448 हैक्टेयर में स्थित वादी संख्या 1 का 7/20 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 2 का 7/20 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 3 का 3/20 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 4 का 3/20 वॉ हिस्सा की भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। तहसीलदार बिलाड़ा राजस्थान टीनेंसी एक्ट के नियमों के प्रावधानों के तहत विभाजन प्रस्ताव बाई मिटस एण्ड बाउण्डस तलब कर रास्ता आदि की कार्यवाही कर बंटवाड़ा प्रस्ताव बनाकर भिजवावें। प्राथमिक डिक्री जारी हों।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:50 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

वादीगण

1. प्रभुराम पुत्र श्री लाबूराम
   जाति सीरवी (आगलेचा)
   निवासी बेरा आगलेचों का भटेड
   ग्राम जेलवा, तहसील बिलाड़ा
2. हरजीराम पुत्र श्री दौलाराम
   जाति सोरवी (बर्फा)
3. लादूराम पुत्र श्री दौलाराम
   जाति सीरवी (बर्फा), निवासीगण
   कल्पवृक्ष के पास, बेरा बडेर का
   उगुणिया बिलाड़ा, तहसील
   बिलाड़ा जिला जोधपुर
4. जगदीश पुत्र पन्नाराम
   जाति सीरवी (बर्फा)
   निवासी बेरा बाग की ढीमड़ी
   बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा
5. तेजाराम पुत्र लिखमाराम
   जाति सीरवी (पंवार)
   निवासी बेरा भाटिया ग्राम
   पिचियाक तहसील बिलाड़ा
6. मुन्नीदेवी पत्नी पन्नाराम
   जाति सीरवी (पंवार)
   निवासी बेरा भाटिया ग्राम
   पिचियाक तहसील बिलाड़ा
7. तीजीदेवी पत्नी जयराम
   जाति सीरवी (पंवार)
   निवासी बेरा भाटिया ग्राम
   पिचियाक, तहसील बिलाड़ा
8. चम्पादेवी पत्नी आशाराम
9. पपलीदेवी पत्नी डूंगरराम
10. हपादेवी पत्नी उदाराम
    जातियान कीर निवासीगण ग्राम
    जसवन्तपुरा, तहसील बिलाड़ा
    जिला जोधपुर

प्रतिवादीगण

1. मोहनलाल पुत्र श्री ओगड़राम
   जाति सीरवी (आगलेचा)
   निवासी आगलेचों का गौरवा
   उचियार्डा, बिलाड़ा तहसील
2. कानसिंह पुत्र सवाईसिंह
3. मेघसिंह पुत्र सवाईसिंह
4. नरपतसिंह पुत्र सवाईसिंह
5. मंगलसिंह पुत्र सवाईसिंह
6. भंवरसिंह पुत्र सवाईसिंह
7. अमरसिंह पुत्र सवाईसिंह
   सभी जातियान राजपूत
   निवासीगण ग्राम पिचियाक
   तहसील बिलाड़ा,
   जिला जोधपुर
8. राजस्थान सरकार जरिये
   तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 40/2020

निर्णय दिनांक :–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादीगण बिरूद्ध मुददई प्रतिवादी संख्या 8 सरकारी पैरोकार उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम जसवन्तपुरा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 125/1 रकबा 15.3629 हैक्टेयर में स्थित वादी संख्या 1 का 712/3877 वॉ हिस्सा, वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:50 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 2 का 711/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 3 का 305/3877 वॉ हिस्सा व वादी संख्या 4 का 305/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 5 का 180/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 6 का 401/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 7 का 201/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 8 का 91/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 9 का 91/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 10 का 182/3877 वॉ हिस्सा तथा खसरा नम्बर 125/2 रकबा 5.5093 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 125/3 रकबा 2.3137 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 125/4 रकबा 8. 1790 हैक्टेयर में स्थित वादी संख्या 1 का 900/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 2 का 899/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 3 का 385/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 4 का 386/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 5 का 180/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 6 का 401/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 7 का 201/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 8 का 91/3877 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 9 का 91/3877 वॉ हिस्सा, वादी सख्या 10 का 182/3877 वॉ हिस्सा की भूमि का तथा खसरा नम्बर 125/5 रकबा 2.9448 हैक्टेयर में स्थित वादी संख्या 1 का 7/20 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 2 का 7/20 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 3 का 3/20 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 4 का 3/20 वॉ हिस्सा की भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। तहसीलदार बिलाड़ा राजस्थान टीनेंसी एक्ट के नियमों के प्रावधानों के तहत विभाजन प्रस्ताव बाई मिटस एण्ड बाउण्डस तलब कर रास्ता आदि की कार्यवाही कर बंटवाड़ा प्रस्ताव बनाकर भिजवावें।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा